UPHR010013632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.05728)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–587/2026</u>

1. रामनरेश सिंह पुत्र सुरजन सिंह,
2. श्रीमती मीना सिंह पत्नी रामनरेश सिंह,

सर्व निवासी ग्राम परसोला, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई।

----------आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

सरकार---------- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–10.03.2026

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण रामनरेश सिंह एवं श्रीमती मीना सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 557/2025, धारा 85, 80(2) बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रति०अधि०, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदकगण/अभियुक्तगण के पैरोकार कुशाग्र सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सरनाम सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अपनी पुत्री कोमल की शादी लगभग 6 माह पूर्व में अपनी हैसियत मुताबिक ओम प्रताप सिंह पुत्र रामनरेश सिंह नि० ग्राम परसोला थाना बिलग्राम जिला हरदोई में की थी, परन्तु मेरी पुत्री की दहेज में सोने की चैन एवं अपाचे मोटर साईकिल की मांग पति ओम प्रताप सिंह व राम नरेश ससुर व सास दहेज की मांग करते थे, परन्तु पुत्री के पिता की हैसियत न देने के कारण आय दिन मारा पीटा करते थे। आज दिनांक 11–11.2025 को समय लगभग 2 बजे शाम को प्रार्थी की पुत्री को मार दिया। प्रार्थी के पुत्री की मृत्यु की सूचना 2.15 बजे शाम फोन के माध्यम सूचना मिली।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतिका कोमल के

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 12:43:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ससुर व सास है तथा प्रार्थिनी श्रीमती मीना सिंह हृदय रोग से पीड़ित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथानक असत्य एवं मनगढ़न्त है तथा बाद पंचायतनामा व पोस्टमार्टम पुलिस की राय मशविरा से विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कभी भी मृतिका अथवा उसके मायके वालों से दहेज में सोने की चैन एवं मोटरसाइकिल की मांग नहीं की और न ही मृतिका को प्रताड़ित किया। मृतका कोमल का कुछ स्वास्थ्य खराब रहता था, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल से हुआ था। मृतका कोमल की मां उसे शहर में रहने के लिए उकसाती थी तथा तरह–तरह से ससुराल पक्ष की बुरायी करती थी। कोमल अपनी मां के व्यवहार से परेशान रहती थी। उपरोक्त संबंध में मृतका कोमल व उसकी बहन खुशबू के मध्य हुई बातचीत की रिकार्डिंग है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसे ससुराल में कोई परेशानी नहीं है। मृतका कोमल ने विवाह कराने वाली पिंकी पत्नी शेर सिंह से मोबाइल पर बातचीत में स्वीकार किया है कि वह अपनी मां के व्यवहार से तंग है तथा बार–बार आत्महत्या करने की बात कह रही है। पिंकी मृतका कोमल के मायके की है तथा चचेरी बुआ है। उक्त बातचीत की रिकार्डिंग मौजूद है। उपरोक्त दोनों रिकार्डिंग से स्पष्ट है कि मृतका कोमल को ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं थी तथा अपनी मां के अनावश्यक दखल से मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कोमल की मृत्यु की जिम्मेदार उसकी मां है। उनके विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– प्रत्युत्तर में जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा तर्क किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतका के सास–ससुर है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका व वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन एवं मोटरसाईकिल की माँग की और दहेज की माँग को लेकर आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह–अभियुक्त ने मिलकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर अस्वाभाविक रूप से फाँसी पर लटकने से हुई है। चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व फाँसी पर लटकने से उत्पन्न दम घुटने के कारण होना बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7– मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

8– जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण नामजद अभियुक्तगण है व मृतका के

सास–ससुर है,मृतका की मृत्यु उसके विवाह के एक वर्ष के अंदर आसामन्य परिस्थितियों में हुई है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया जाना परिलच्छित होता है। मामला दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है, जो कि आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है।

9– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण रामनरेश सिंह एवं श्रीमती मीना सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः10.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।